कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

शीशमबाग वन परिसर, जेल रोड, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfote@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

पत्रांक 510 / 12–1 हल्द्वानी, दिनांक 3/8/2021

सेवा में,

प्रभारी केन्द्रीय औषधीय एवं
स्कन्ध पौध संस्थान,
पन्तनगर, नगला
जनपद–ऊधमसिंह नगर।

विषयः– Proposal for renewal of diversion of 115.79 heactare of forest land under Forest (Conservation) Act,1980 for Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants of Luknow fields station for cultivation of medicinal and aromatic plants under Udham Singh Nagar, Uttarakhand.

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8–41/2000–FC(Vol) date: 19 july 2021|

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र जो आपको पृष्ठांकित है का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर कमियों के निराकरण करने के निर्देश दिये गये है जिनका निरकारण किया जाना आपेक्षित है। अतः उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–जी0आई0:–485/7–1–2002–800/2000 दि0–15.06.2002 द्वारा पूर्व में दी गयी सशर्त स्वीकृति की पूर्ण अनुपालन आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रत्येक बिन्दु पर चाही गयी वांछित सूचना उच्च स्तर को प्रेषित की जा सकें। सुलभ संदर्भ हेतु उपरोक्त संदर्भित पत्र एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश की प्रति आपको प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार–

भवदीय

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी।

पत्रांकः–510 / 12–1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी।

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)
****

Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Raod, Aliganj
New Delhi – 110003
Dated: 19th July, 2021

To
The Secretary Incharge (Forest,)
Forest Department,
Government of Uttarakhand
Dehradun

Sub: Proposal for renewal of diversion of 115.79 hectare of forest land under Forest (Conservation) Act, 1980 for Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants of Lucknow field Station for cultivation of medicinal and aromatic plants under Udham Singh Nagar, Uttrakhand

Sir,

I am directed to refer to the Uttarakhand's online proposal no. FP/UK/Others/77955/2020 dated 28.05.2021 regarding above-mentioned subject. After scrutiny of the proposal submitted through online on **PARIVESH** portal of the Ministry, the following deficiencies are observed:

i. Detail of compensatory land made available in lieu of approval granted in the past needs to be provided by the State Government along with **KML/Shape** files and status of its notification under the IFA, 1927 as applicable, afforestation, etc. needs to be intimated by the State Govt.
ii. Details of NPV, if any realized from the user agency, in the past needs to be intimated by the State Govt. along with prescribed proforma for confirmation of the CA levied.
iii. Comments of the CWLW on the observation of the DFO regarding location of the area in **the Shivalik Elephant Reserve**.
iv. Status of compliance of conditions stipulated in the approval dated 15.06.2002 may be intimated by the State Govt.
v. Extant proposal is a non-site specific which can be taken up over non-forest land. The State Government also requested to submit its comments on whether alternative options have been explored to shift the facility to non-forest land.
vi. The State Govt. also to submit the details that in actually how much area is still used for non-forestry purposes.

2. Accordingly, you are requested to submit the above mentioned information at the earliest.

Yours faithfully,

19/07/2021

(Shrawan Kumar Verma)
Deputy Inspector General of Forests

Copy to:
1. The Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Government of Uttarakhand, Dehradun. The Regional Officer, MoEF&CC, Integrated Regional Office Dehradun.
2. The Nodal Officer, (FCA), Forest Department, Government of Uttarakhand, Dehradun.
3. User Agency.
4. Monitoring Cell, FC Division, MoEF & CC, New Delhi.
5. Guard File.

(5)

संख्या–जी0आई0– 485 /7–1–2002–800/2000

प्रेषकः–

श्री राजेन्द्र कुमार
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन सरंक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी,
उत्तरांचल,देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग

देहरादूनः दिनांक जून 15, 2002

विषयः– जनपद–उधमसिंह नगर में केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के फील्ड स्टेशन, पंत नगर को पूर्व में दी गई 115.79 हे0 आरक्षित वन भूमि की लीज का कालातीत होने की तिथि से आगामी 20 वर्षो के लिये नवीनीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्याः–2816 /1–जी–609 (उधम0) दिनांक 15–6–2002 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–उधमसिंह नगर में केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के फील्ड स्टेशन, पंत नगर को पूर्व में दी गई 115.79 हे0 आरक्षित वन भूमि की लीज का कालातीत होने की तिथि से आगामी 20 वर्षो के लिये नवीनीकरण की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–8–41/2002–एफ सी दिनांक 21–7–2000 में दी गई स्वीकृति तथा मा0 मंत्रि परिषद् के आदेश दिनांक 3–6–2002 के आधार पर निम्न शर्तो पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रस्तावक विभाग उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. प्रस्तावक विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगें और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा, प्रस्तावक विभाग द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रस्तावक विभाग को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रस्तावक विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान के वापस हो जायेगी।
5. परियोजना क्षेत्र में अनुसंधान प्रयोजन हेतु उगाये गये पेड़ों का पातन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात एक निर्धारित योजना के तहत ही किया जा सकेगा।
6. प्रस्तावक विभाग द्वारा लीज पर दी गयी वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वन भूमि का उपयोग नही किया जायेगा तथा वन भूमि पर कोई गैर वानिकी कार्य यथा– भवन निर्माण, सड़क निर्माण आदि कार्य नही किये जायेंगे।
7. लीज पर दी गई वन भूमि में प्राकृतिक रूप से उगे हुये वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा ।
8. परियोजना के अधिकारियों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि परियोजना में कार्यरत मजदूरों द्वारा वन भूमि पर किसी प्रकार का अतिकमण न किया जाय।
9. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

10. परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुंचाये इसके लिए प्रस्तावक विभाग ईंधन की लकडी अथवा अन्य वैकल्पिक ईंधन सामग्री उपलब्ध करायेगा ।
11. **प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लघंन के फलस्वरूप 0.80 एकड़ वन भूमि में दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।**
12. वन भूमि पर खडे वृक्षों, यदि कोई हो और उनका पातन किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो वह केवल उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा ही निस्तारित किया जायेगा।
13. प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदपरान्त रख–रखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा ।
14. **मा0 मंत्रि परिषद् के अशासकीय पत्र संख्या–4/2/10/2002–सी0एक्स0 दिनांक 3–6–2002 द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार प्रस्तावक विभाग से वन भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा व पूर्व की भॉति 1 रूपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से लीज रेंट लिया जायेगा।**
15. **प्रस्तावक द्वारा उक्त शर्तो एवं अन्य सामान्य शर्तो को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयसिंग) कोष्ठक के शासनादेश संख्याः 198/7–जी–सी–89–3–89, दिनांक 19–6–89 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक–'0070'–अन्य प्रशासनिक सेवायें–01–न्याय प्रशासन–501–सेवायें और सेवा फीस–01–की गई सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।**
16. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ तथा राज्य सरकार द्वारा वनो एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये समय–समय पर लगाये जाने वाली शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव

संख्या– 485 /7–1–2002–800/2000 दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2. मुख्य वन सरंक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, बी–1/72 सैक्टर (के), अलीगंज, लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तरांचल प्रकोष्ठ, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
5. निजी सचिव, मा0 वन मंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
6. जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
8. श्री सुमनप्रीत सिंह खनूजा, निदेशक, केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, कुकरैल पिकनिक स्पॉट रोड, पी0ओ0–सिमैप, लखनऊ–226015

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव